22

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के कार्यकरण संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों, सुस्थापित परम्पराओं और पूर्व निर्णयों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

22

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

8 मार्च, 1996 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए दोनों सभाओं की एक स्थायी समिति गठित करने हेतु दो समरूप संकल्प राज्य सभा और लोक सभा में प्रस्तुत किये गये थे।

उपर्युक्त संकल्प के अनुसरण में नियम समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था। नियम समिति ने 6 मार्च, 1997 को सभा पटल पर रखे गए अपने दूसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की कि इस प्रयोजन के लिए एक समिति गठित की जाए। तदनुसार, 29 अप्रैल, 1997 को महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति गठित की गई।

संरचना

2. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का गठन लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष किया जाता है। समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाता है तथा 10 सदस्यों को राज्य सभा के/की सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

1

सभापति की नियुक्ति

3. समिति का/की सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है/की जाती है।

मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता

4. कोई भी मंत्री समिति का/की सदस्य नहीं हो सकता/सकती है और यदि कोई सदस्य समिति के लिए नामनिर्दिष्ट हो जाने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहता/रहती है।

कार्यकाल

5. समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक होता है।

कृत्य

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के कृत्य इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और इस बात की सूचना देना कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित केन्द्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में महिलाओं की स्थिति/दशा सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने चाहिए;

2. महिलाओं को सभी मामलों में समानता, उचित दर्जा और प्रतिष्ठा दिलाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

3. महिलाओं के लिए व्यापक शिक्षा तथा विधायी निकायों/सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना;

4. महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में सूचित करना;

5. समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सूचित करना; और

6. ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जो समिति को उपयुक्त लगें अथवा जो इसे सभा या अध्यक्ष द्वारा तथा राज्य सभा या राज्य सभा के सभापति द्वारा विशेष रूप से भेजे जाएं।

जांच के लिए विषयों का चयन

7. समिति के गठन के पश्चात् अपनी पहली बैठक में समिति महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने और उनके कल्याण संबंधी विषयों की जांच के लिए चयन करती है। समिति महिलाओं की स्थिति/दशा में सुधार के लिए किसी अन्य विषय/मामले पर भी विचार कर सकती है जो इसके क्षेत्राधिकार में आते हों।

सभा/अध्यक्ष तथा राज्य सभा/राज्य सभा के/की सभापति द्वारा समिति को सौंपे गए मामले

8. जांच के लिए समिति द्वारा चुने गए विषयों के अलावा महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने और उनके कल्याण संबंधी अन्य विषय भी सभा अथवा अध्यक्ष और राज्य सभा अथवा राज्य सभा के/की सभापति द्वारा समय-समय पर जांच के लिए समिति को सौंपे जा सकते हैं।

समिति द्वारा चुने गए विषयों को सदस्यों की जानकारी के लिए समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है।

सरकार से जानकारी मांगना

9. समिति जांच के लिए चुने गए विषयों के बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्रारंभिक सामग्री मांगती है। मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजी गई पृष्ठाधार/प्रारंभिक सामग्री के आधार पर जांचाधीन विषयों के संबंध में विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत प्रश्न-सूची तैयार की जाती है और समिति द्वारा लिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय/विभाग को भेजी जाती है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों से ज्ञापन

10. समिति जांचाधीन विषय के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों आदि जो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, से ज्ञापन भी मांग सकती है।

अध्ययन दल/उप-समिति का गठन

11. समिति चुने गए विषयों की गहन जांच करने के लिए समय-समय पर एक अथवा अधिक उप-समितियों/अध्ययन दलों की नियुक्ति कर सकती है। समिति के पूर्व प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही की सूक्ष्म जांच के लिए भी एक उप-समिति का गठन किया जा सकता है। उप-समिति/अध्ययन दल के संयोजक की नियुक्ति समिति के सभापति द्वारा उप-समिति/अध्ययन दल के सदस्यों में से की जाती है।

अध्ययन दौरे

12. समिति जांचाधीन विषयों के संबंध में विभिन्न स्थानों के तत्स्थानिक अध्ययन दौरे/यात्राएं कर सकेगी और महिलाओं से संबंधित मामलों पर महिलाओं/अधिकारियों से विचार-विमर्श भी कर सकेगी।

गैर-सरकारी व्यक्तियों का साक्ष्य

13. समिति/उप-समिति गैर-सरकारी संगठनों के उन व्यक्तियों, विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों को अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए बुला सकेगी जिन्होंने जांचाधीन विषयों पर ज्ञापन दिए हैं।

अधिकारियों का साक्ष्य

14. विषयों की विस्तृत जांच के लिए समिति संबंधित विषय पर प्राप्त लिखित जानकारी की प्राप्ति के बाद संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेती है। कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा जाता है।

मंत्रियों को समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाता

15. मंत्रियों को समिति द्वारा विषयों की जांच के संबंध में समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए अथवा परामर्श करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

16. किसी विषय पर समिति की सिफारिशें/टिप्पणियां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट होती हैं जिसे समिति द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद सभापति द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य, जिसे सभापति द्वारा उसकी ओर से इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये जाते हैं। साथ ही, प्रतिवेदन की एक प्रति समिति के सदस्य, जिसे सभापति द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा राज्य सभा के सभा पटल पर भी रखी जाती है।

समिति के प्रतिवेदन सदस्यों के बीच आम राय से स्वीकार किए जाते हैं। तद्नुसार, प्रतिवेदन में असहमति संबंधी कार्यवाही सारांश को जोड़ने की कोई प्रथा नहीं है।

प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्यवाही

17. लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रतिवेदन को संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को भेजा जाता है जिसे प्रतिवेदन

में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर कार्यवाही करनी होती है तथा उस पर छह महीने के भीतर की-गई-कार्यवाही टिप्पण प्रेषित करने होते हैं। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की-गई-कार्यवाही टिप्पणों की समिति की-गई-कार्यवाही संबंधी उप-समिति द्वारा जांच की जाती है तथा समिति के की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं और अनुपालन हेतु संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजे जाते हैं। की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण लोक सभा और राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है।

[महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का गठन और कार्यचालन लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 253 से 286, 331ण, 331त और 331थ और लोक सभा के अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 48 से 73 द्वारा शासित होता है।]

7